

## कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर।

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,  
सचिव,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
बुलन्दशहर।

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी, (एन.आई.-सी.)  
बुलन्दशहर।

पत्रांक:- 633/34 (111) पी0एल0वी0 पत्रावली (2020-21)

दिनांक 15.02.2020

विषय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पराविधिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर के द्वारा समाज के पिछड़े गरीब तथा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्ग के व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु 50 परा विधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जाना है और चयन में विधि की पढ़ाई कर रहे छात्रों चिकित्सक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि को वरीयता प्रदान की जायेगी।

आपसे निवेदन है कि आप इस पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति को जनपद बुलन्दशहर की वेबसाइट पर अपलोड करायें ताकि अधिक से अधिक संख्या में समाज सेवा के इस कार्य के लिये व्यक्ति अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

ससम्मान।

भवदीय,



(अशोक कुमार सिंह)

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
बुलन्दशहर।

दिनांक:-15.02.2020

संलग्न-

1. विज्ञप्ति।
2. आवेदन पत्र का प्रारूप।

प्रतिलिपि-

माननीय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
बुलन्दशहर।

## कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर।

विज्ञप्ति

दिनांक-15.02.2020

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर के द्वारा समाज के पिछड़े गरीब व्यक्तियों तथा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में सभी वर्ग के लोगो को विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु 50 पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जाना है।  
कार्य विवरण:-

पराविधिक स्वयं सेवा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वर्गीकृत योजनाओं तथा अन्य समाज कल्याण की योजनाओं को समाज के गरीब और वंचित वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, साथ ही विभिन्न जरूरतमन्द लोगो को विधिक सेवाये प्रदान करेंगे।

योग्यता:- कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं अधिक।

आयु सीमा:- आवेदन की अन्तिम तिथि पर 18 वर्ष या अधिक।


आवेदन शुल्क:-शून्य।

अन्तिम तिथि:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय बुलन्दशहर में आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 17.03.2020 है।

इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत कर सकते है।  
आवेदन पत्र का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर में भी निशुल्क उपलब्ध है।

परा विधिक स्वयं सेवको का चयन जिला स्तर पर माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर की अध्यक्षता वाली चयन समिति के द्वारा अभ्यर्थी के अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। चयन में विधि की पढाई कर रहे छात्रों एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा चिकित्सक आदि को वरीयता प्रदान की जायेगी।

परा विधिक स्वयं सेवक का कार्य समाज सेवा है और पराविधिक स्वयं सेवकों को उनकी सेवाओं के बदले कोई वेतन अथवा भत्ता आदि देय नहीं होगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कार्य के आधार पर मान देय प्रदान किया जा सकता है।

  
सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर।

पैरा-विधिक स्वयं सेवकों हेतु आवेदन पत्र

स्वः  
हस्ताक्षरित  
फोटो

नाम:- \_\_\_\_\_

पिता/पति का नाम:- \_\_\_\_\_

जन्म तिथि अंको में \_\_\_\_\_  
शब्दों में \_\_\_\_\_

जाति:- \_\_\_\_\_

पता मौहल्ला/ग्राम \_\_\_\_\_  
थाना \_\_\_\_\_ पोस्ट \_\_\_\_\_  
ब्लॉक \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_  
जिला \_\_\_\_\_

मोबाईल नम्बर \_\_\_\_\_

स्थायी पता \_\_\_\_\_

शैक्षिक योग्यता:- \_\_\_\_\_

अनुभव:- \_\_\_\_\_

दिनांक:- \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर

**घोषणा**

मैं (नाम) \_\_\_\_\_ पुत्र \_\_\_\_\_ यह घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई अपराधिक मामला लम्बित नहीं है और किसी न्यायालय से मुझे दोषसिद्ध नहीं किया गया है। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा एडवोकेट अधिनियम के अन्तर्गत मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है। मेरे द्वारा किये गये उपरोक्त कथन सत्य एवं सही है। मुझे यह भी ज्ञान है कि कोई कथन गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर:-

स्थान:-

नाम:-